न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/242/2015

उनवान

1. रतन लाल मुतबन्ना दोला अहीर निवासी ओज्याडा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, हमीरगढ जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ के प्रकरण संख्या 284/2006 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.6.2015

अधिवक्तागण :-

1. श्री बी एल वैष्णव, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 31.8.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं इन्द्राज दुरूस्ती प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा औज्याडा में साबिक बन्दोबस्त के आराजी नम्बर 1259 स्थित है। उक्त भूमि बन्दोबस्त में राजस्व रेकार्ड में बिलानाम सरकार काबिल काश्त दर्ज थी। उक्त आराजियात नम्बर 1259 रकबा में से 2 बीघा 11 बिस्वा रकबा वादी के पिता श्री दौला आत्मज पेमा अहीर निवासी औज्याडा को सन् 1967 में आवंटित की गई। उसके उपरान्त वादी के पिता दौला जी के नाम राजस्व रेकार्ड में आराजी नम्बर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

1259/2 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा गैरखातेदारी हक से दर्ज की गई। उसके उपरान्त दिनांक 12.4.1968 को नामान्तरकरण संख्या 219 द्वारा वादग्रस्त आराजी खातेदारी हक से दौला जी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की गई। उक्त खातेदारी इन्द्राज मिसल नम्बर 1361/67 से हुई। आवंटन के समय वादी के पिता जी दौला के कब्जेकाश्त में रही एवं उनकी मृत्यु के उपरान्त वादग्रस्त आराजी पर वादी का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। सेटलमेण्ट के समय बन्दोबस्त के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की लापरवाही एवं गफलत से वादग्रस्त आरजी नम्बर 1259/2 जिसके नवीन नम्बर 1835 बने उसे बहैसियत खातेदार दर्ज करने के स्थान पर बिलानाम सरकार बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के दर्ज कर दी गई। जबकि भू प्रबन्ध विभाग को पूर्व इन्द्राज को रिपिट करना था। वादी के पिता जो कि किसान थे उन्हें इस इन्द्राज की जानकारी नहीं हुई एवं वादी को भी इस तथ्य की जानकारी नहीं हुई। जबकि वादग्रस्त आराजी पर कब्जाकाश्त आवंटन के समय से ही वादी के पिता एवं उनकी मृत्यु के उपरान्त वादी का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। वादी को इस वर्ष 1989 में सर्व प्रथम जानकारी हुई कि वादग्रस्त आराजी किसी अन्य को आवंटित कर दी गई है। जिस पर वादी ने राजस्व रेकार्ड में दर्ज इन्द्राज को हटाकर पुनःवादी के नाम दर्ज किये जाने का निवेदन प्रशासन गांवों की ओर से केम्प औज्याडा में निवेदन किया । किन्तु इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया । जबकि कब्जाकाश्त भी वादी का है। अतः वादग्रस्त हाल आराजी नम्बर 1835 जो कि साबिक आराजी नम्बर 1259/2 से बने है उक्त भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का वाद

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि ग्राम औज्याडा तहसील भीलवाडा हाल तहसील हमीरगढ में साबिक आराजी नम्बर 1259 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा में से अपीलार्थी/वादी के पिता स्व0 दोला पुत्र पेमा अहीर के नाम 2 बीघा 11 बिस्वा भूमि कब्जे के आधार पर आवंटन की गई एवं मिसल नम्बर 1367/67 नामान्तरकरण संख्या 219 दिनांक 14.6.1970 को बहैसियत खातेदार आरी नम्बर 1259/2 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा राजस्व रेकार्ड में दर्ज की गई। उक्त अंकन राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवत 2023–2024 में किया गया है। भू प्रबन्ध के दौरान भू प्रबन्ध विभाग के अधिकारियों की गलती से उक्त आराजी को बिलानाम दर्ज कर दिया गया जबकि उक्त आराजी पर कब्जाकाश्त अपीलार्थी/वादी के पिता का चला आ रहा था। भू प्रबन्ध के उपरान्त साबिक आराजी नम्बर 1259/2 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा के नवीन आराजी नम्बर 1988 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा कायम किये गये। जिस पर अपीलार्थी/वादी का कब्जाकाश्त होने से प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा नाजायज कब्जा बाबत नोटिस जारी किये गये । तब जाकर अपीलार्थी को वादग्रस्त आराजी को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज किये जाने की जानकारी हुई।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि उसके उपरान्त वादग्रस्त आराजी सुखानाथ पिता प्रभुनाथ को दिनांक 22.5.1992 को आवंटित कर दी गई। जबकि वादग्रस्त आराजी पर कब्जाकाश्त अपीलार्थी/वादी का ही चला आ रहा था। जिस पर अपीलार्थी/वादी ने

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

सुखानाथ पिता प्रभुनाथ को हुए वादग्रस्त भूमि के आवंटन को निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) अपर जिला कलक्टर, भीलवाडा के न्यायालय में प्रस्तुत किया । जिसके प्रकरण संख्या 56/05 दर्ज होकर निर्णय दिनांक 8.3.2006 को अपीलार्थी/प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया एवं वादग्रस्त आराजी का सुखानाथ पिता प्रभुनाथ को किया गया आवंटन निरस्त किया गया तथा वादग्रस्त आराजी का अपीलार्थी/प्रार्थी के पक्ष में नियमन करने हेतु निर्देशित किया गया । उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैम्प औज्याडा मं रखकर प्रत्यर्थी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलार्थी/वादी का वाद पत्र खारिज कर दिया । जो निरस्त योग्य है।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी पर आवंटन के समय से ही अपीलार्थी के पिता का एवं उनकी मृत्यु के उपरान्त अपीलार्थी का लगातार कब्जाकाश्त चला आ रहा है। उक्त आवंटन अपीलार्थी के पिता का कब्जा होने के आधार पर ही किया गया । वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थी का कब्जा होने के कारण ही उनके विरूद्ध प्रतिवादी द्वारा नोटिस जारी किया गया था। वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा होने के कारण ही सुखानाथ पिता प्रभुनाथ को वादग्रस्त भूमि का किया गया आवंटन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया था। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी द्वारा यह रिपोर्ट करना कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थी/वादी का कब्जाकाश्त नहीं है। इस रिपोर्ट के आधार पर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है वह विधिसम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

7. प्रत्यर्थी की ओर से योग्य राजकीय अधिवक्ता का निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थी का कब्जाकाश्त नहीं होने की प्रत्यर्थी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी/वादी का वाद पत्र खारिज किया गया है। वर्तमान में वादग्रस्त आराजी बिलानाम सरकार दर्ज रेकार्ड है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थी/वादी का कब्जाकाश्त नहीं होने के कारण ही वाद पत्र खारिज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी/वादी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है।

8. प्रत्यर्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थी/वादी का कब्जाकाश्त नहीं होने के कारण सुखानाथ पिता प्रभुनाथ को आवंटन किया गया था। उस आवंटन को अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत खारिज करने का निवेदन किया गया। जिस पर सुखानाथ पिता प्रभुनाथ को किया गया आवंटन निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया गया एवं निर्देशित किया गया था कि प्रार्थी यदि आवंटन की पात्रता रखता हो तो नियमन के बिन्दु पर विचार करते हुए प्रकरण को पुनः भू आवंटन कमेटी के समक्ष रखा जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावे। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को वादग्रस्त आराजी के नियमन हेतु कार्यवाही करनी चाहिये थी। जो अपीलार्थी द्वारा नहीं कर वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88'89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया । जो उचित नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है। वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

9. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । अपीलार्थी का कथन है कि वादग्रस्त आराजी पर आवंटन के समय से

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

ही अपीलार्थी के पिता दौला पिता पेमा अहीर का कब्जा था एवं उनकी मृत्यु के उपरान्त अपीलार्थी/वादी का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । वादग्रस्त आराजी नम्बर 1259 रकबा में से 2 बीघा 11 बिस्वा रकबा अपीलार्थी/वादी के पिता श्री दौला आत्मज पेमा अहीर निवासी औज्याडा को सन् 1967 में आवंटित की गई। जिसके नम्बर 1259/2 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा आवंटी के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन किया गया । उसके उपरान्त भू प्रबन्ध के दौरान वादग्रस्त आराजी नम्बर 1259/2 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा के नवीन आराजी नम्बर 1835 कायम किये गये जाकर राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज की गई। वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थी/वादी का कब्जा नहीं होने एवं राजस्व रेकार्ड में बिलानाम सरकार दर्ज होने के कारण सुखानाथ पिता प्रभुनाथ को आवंटित की गई।

10. अपीलार्थी/वादी ने सुखानाथ पिता प्रभुनाथ को किये गये आवंटन को निरस्त कराने के लिए जिला कलक्टर, भीलवाडा के यहॉ प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत कर सुखानाथ पिता प्रभुनाथ को किये गये आवंटन को निरस्त किये जाने का निवेदन किया । जिस पर अपीलार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण को रिमाण्ड कर निर्देशित किया गया कि यदि प्रार्थी आवंटन की पात्रता रखता हो तो नियमन के बिन्दु पर चिचार किया जाकर तीन माह मे प्रकरण का निस्तारण किया जावे। जिस पर वादग्रस्त आराजी को पुनः बिलानाम दर्ज किया गया । प्रत्यर्थी का निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थी का कब्जाकाश्त नहीं रहा है। चूंकि यदि अपीलार्थी/वादी का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा रहा होता तो उक्त आराजी सुखानाथ पिता प्रभुनाथ को आवंटित ही नहीं की जाती ।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

उसके उपरान्त भी अपीलार्थी/वादी को वादग्रस्त आराजी को अपने पक्ष में नियमन कराने हेतु कार्यवाही करनी चाहिये थी। अपीलार्थी/वादी ने वादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जा काश्त होने के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय मे वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया । जिस पर तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 3.2.2011 के अनुसार ''वादग्रस्त आराजी नम्बर 1835 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा पर रतन लाल पिता दोला अहीन निवासी ओज्याडा का कब्जाकाश्त नहीं मानकर धारा 91 की रिपोर्ट इसके नाम से नहीं की गई है। ''के आधार अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थी/प्रार्थी का कब्जाकाश्त नहीं होने का कथन किया गया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय से अपीलार्थी/वादी का वाद पत्र खारिज किया गया। अपीलार्थी/वादी ने वादग्रस्त आराजी पर उसका कब्जाकाश्त चला आ रहा हो इसकी पुष्टि में कोई रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है। उपलब्ध रेकार्ड एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

11. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.6.2015 को यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री मूर्तिब की जावे।

12. निर्णय आज दिनांक 31.8.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

31/8/18

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या आर टी ए/242/2015

उनवान

1. रतन लाल मुतबन्ना दोला अहीर निवासी ओज्याडा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, हमीरगढ जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ के प्रकरण संख्या 284/2006 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.6.2015

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आरटीए/242/2015 मे **उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डि्की जारी की जाती हैः–

यह अपील तारीख 31.8.2018 को अपीलाण्ट की ओर से श्री बी एल वैष्णव वकील एवं प्रत्यर्थी की ओर से राजकीयय अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश सोनी की उपस्थिति मे दिनांक 31.8.2018 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.6.2015 को यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 31.8.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डि्की जारी की जाती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ भीलवाडा (राज.)

31/8/18

(निमिषा गुप्ता)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट

1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट

1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा